सं. ओ.वि./एफ़.डी./69-85/44597.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. नानक चन्द सपुत्र नेकी राम पावर भ ठठा कम्पनी, पलबल, के श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा, इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामलें हैं, अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामलें हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है:—

मांग नं० 1.— क्या संस्था के श्रमिक हरिमाणा सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन रेट प्रति हजार 42.50 पैसे पथाई लेने का हकदार है? यदि हां तो किस विवरण से ?

मांग नं० 3.—क्या संस्था के सभी श्रमिक वर्ष 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85 का बोनस 20 प्रतिशत के दर से लेने का हकदार है ? यदि हां तो किस विवरण से ?

मांग नं० 4.—क्या संस्था का प्रत्येक श्रमिक प्रत्येक माह 5 किलो ग्राम गुड़ लेने के हकदार है ? यदि हां तो किस विवरण से ?

कुलवन्त सिंह,
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।

दिनांक 24 अक्तूबर, 1985

सं. ओ.वि./एफ.डी./62-85/43677.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. हिन्दुस्तान वायर, प्रा. लि., प्लाट नं० 267, 268, सैक्टर 24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री चन्द्र दीप तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री चन्द्र दीप की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 5 नवम्बर, 1985

सं. ओ.वि./अम्बाला/94-85/44609.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. (1) उपायुक्त, अम्बाला, (2) प्रशासक, नगरपालिका अम्बाला सदर म्युनिसपेलटी, अम्बाला कैण्ट के श्रमिक श्री माम राज तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उससे सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री माम राज की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?